भारत सरकार
नागर विमानन मंत्रालय
लोक सभा
लिखित प्रश्न संख्या : 478
गुरुवार, 25 जुलाई, 2024 (3 श्रावण. 1946 (शक)) को दिया जाने वाला उत्तर

प्रयोक्ता विकास शुल्क

478. श्री के. सी. वेणुगोपालः

क्या **नागर विमानन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) हाल ही में तिरुवनन्तपुरम विमानपत्तन पर प्रयोक्ता विकास शुल्क (यूडीएफ) में की गई वृद्धि के विशिष्ट कारण क्या हैं;
(ख) यह निर्णय लेने में किन-किन कारकों पर विचार किया गया है;
(ग) मंत्रालय द्वारा यूडीएफ में की गई वृद्धि से तिरुवनंतपुरम विमानपत्तन पर विमान किरायों और यात्रियों की क्षमता पर पड़ने वाले प्रभाव का आकलन किस प्रकार किया जाता है;
(घ) किन्हीं नकारात्मक प्रभावों को कम करने के लिए क्या उपाय किए जा रहे हैं;
(ङ) क्या यूडीएफ वृद्धि के साथ-साथ तिरुवनंतपुरम विमानपत्तन पर विमानों के उतरने के प्रभार में वृद्धि की गई है; और
(च) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं?

उत्तर
नागर विमानन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मुरलीधर मोहोल)

(क) से (च): भारत सरकार ने प्रमुख हवाईअड्डों पर प्रदान की जाने वाली वैमानिकी सेवा के लिए टैरिफ निर्धारित करने हेतु भारतीय विमानपत्तन आर्थिक विनियामक प्राधिकरण अधिनियम, 2008 के तहत 2009 में एक स्वतंत्र आर्थिक टैरिफ विनियामक अर्थात ऐरा की स्थापना की है। ऐरा सभी प्रमुख हवाईअड्डों के वैमानिकी शुल्क जैसे लैंडिंग, पार्किंग और यूडीएफ को अन्य बातों के साथ-साथ निम्नलिखित कारकों पर विचार करके निर्धारित करता है:-
(i) वैमानिकी परिसंपत्तियों के लिए निवेश पर प्रतिफल,
(ii) परिचालन व्यय,
(iii) मूल्यह्रास,
(iv) कर
ऐरा द्वारा ऐरा अधिनियम और समय-समय पर जारी ऐरा दिशानिर्देशों के अनुसार, मूल्य सीमा तंत्र के अंतर्गत प्रमुख हवाईअड्डों के वैमानिकी शुल्क का निर्धारण 5 वर्ष की नियंत्रण अवधि के लिए किया जाता है, जो उपर्युक्त कारकों के उपाय के रूप में और क्रॉस सब्सिडीकरण के लिए जब तक तंत्र स्थापित नहीं होता तब तक हाइब्रिड के अंर्तगर्त गैर-वैमानिकी राजस्व के 30 प्रतिशत पर विचार किया जाएगा।

भारतीय विमानपत्तन आर्थिक विनियामक प्राधिकरण ने हितधारकों के साथ पारदर्शी परामर्श प्रक्रिया का पालन करने के बाद तीसरी नियंत्रण अवधि के लिए तिरुवनंतपुरम हवाईअड्डे के लिए टैरिफ

निर्धारित किया है और निम्नलिखित कारणों से उच्च टैरिफ (लैंडिग, पार्किंग और यूरडीएफ) की अनुमति दी है:

(i) दूसरी नियंत्रण अवधि के लिए वैमानिकी शुल्क जून, 2017 में निर्धारित किया गया था, जिसमें लैंडिंग, पार्किंग और यूडीएफ शुल्क से वसूल की जाने वाली कुल राजस्व आवश्यकता निर्धारित की गई थी। इन शुल्कों की वसूली हवाईअड्डे के यातायात पर निर्भर करती है। कोविड-19 महामारी ने यातायात को काफी कम कर दिया, जिससे दूसरी नियंत्रण अवधि के लिए 789.29 करोड़ रुपये की कम-वसूली हुई। टैरिफ दिशानिर्देशों के अनुसार, इस राशि को वर्तमान नियंत्रण अवधि के लिए राजस्व आवश्यकता में जोड़ा जाना था।

(ii) दूसरी नियंत्रण अवधि के दौरान, 14.10.2021 को हवाईअड्डे को भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण (एएआई) द्वारा प्रचालन, प्रबंधन और विकास के लिए एक पीपीपी भागीदार को सौंप दिया गया था। भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण के साथ रियायती द्वारा हस्ताक्षरित रियायत समझौते के प्रावधानों के अनुसार, रियायती को हवाईअड्डे के प्रचालन को संभालने की तारीख से 365 दिनों के लिए अगली नियंत्रण अवधि हेतु टैरिफ वृद्धि की मांग करने से रोका गया था। इस परिवर्तन ने तीसरी नियंत्रण अवधि के लिए टैरिफ निर्धारण प्रक्रिया में भी देरी की, जिसके परिणामस्वरूप टैरिफ वसूली के लिए कम अवधि अर्थात पांच वर्ष की पूरी अवधि के मुकाबले तीन साल से भी कम की अवधि उपलब्ध हुई।

उपर्युक्त कारकों के कारण, 31.03.2021 तक टैरिफ शुल्क 30.06.2024 तक बढ़ा दिए गए थे, जिसका अर्थ है कि टैरिफ तीन वर्षों से अधिक समय तक अपरिवर्तित रहा।

ऐरा का उद्देश्य सेवा प्रदाता और अंतिम उपयोगकर्ता के हितों के बीच इष्टतम संतुलन बनाना है और यह सुनिश्चित करना है कि हवाईअड्डा प्रचालक, वैधानिक प्रावधानों और टैरिफ दिशानिर्देशों, जो हवाईअड्डा प्रचालक, एयरलाइंस और यात्रियों के हितों की रक्षा करते हैं, का पालन करते हुए, जोखिम प्रोफाइल के साथ निवेश पर उचित रिटर्न सहित हवाईअड्डे का रखरखाव और प्रचालन करें।

******